

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/नि:कोचिंग/2018-19/ 108

दिनांक : 13/01/2021

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, राजस्थान ।

विषय :- मेघावी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क IITs/NITs & Medical प्रवेश परीक्षाओं
हेतु निःशुल्क आवासीय कोचिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वायत।

प्रसंग :- दक्षणा इण्डिया का ई-मेल दिनांक : 08.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर लेखा है कि The Dakshana Foundation से प्राप्त प्रस्तावानुसार राजस्थान के समस्त ज़िलों में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्होंने कक्षा - 10 में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा वर्तमान में कक्षा-12 में राजकीय विद्यालयों में (विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत हैं ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क एक वर्षीय आवासीय कोचिंग सुविधा The Dakshana Foundation के पुणे (महाराष्ट्र) स्थित Residential Campus में उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस हेतु अपने संभाग क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ समस्त ज़िलों में राजकीय विद्यालयों को निर्देशित करें वे Joint Dakshana Selection Test (JDST) 2021 में बैठने हेतु अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

दक्षणा फाउण्डेशन की योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय से General, Sc, St, OBC and Disabled वर्ग के ऐसे दो विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2018-19 में कक्षा दसवीं में उक्त कैटेगरी में विद्यालय स्तर पर प्रथम दो स्थान प्राप्त किए हों तथा वर्तमान में राजकीय विद्यालय में कक्षा 12 में अध्ययनरत हो, पात्र होंगे। इस हेतु इच्छुक विद्यालय के संस्था प्रधान पहले दक्षणा की वेब साईट <https://dakshana.org/jdst> के लिंक पर जाकर विद्यालय को रजिस्टर करेंगे तदुपरान्त दक्षणा द्वारा उन्हे विद्यालय के ई-मेल पर लिंक प्रेषित किया जाएगा। इस लिंक पर जाकर वे Joint Dakshana Selection Test (JDST) 2021 हेतु इच्छुक विद्यार्थियों की डिटेल भरेंगे। उक्त पश्चात् दक्षणा द्वारा पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को उक्त परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उक्त परीक्षा अप्रैल, 2021 में आयोजित की जाएगी जिसकी पूर्व सूचना द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त हेतु अपने अधीनस्थ ज़िलों को पाबन्द किया जाये।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ज़िला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
2. समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
4. रक्षित पत्रावली।